

कार्यालय, गाँधी स्मारक संग्रहालय, भित्तिहरवा
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (संग्रहालय निदेशालय)

निविदा आमंत्रण सूचना शर्त


भित्तिहरवा, दिनांक -...3-6-19.

अनु-5 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार (संग्रहालय निदेशालय) के अंतर्गत गाँधी स्मारक संग्रहालय, भित्तिहरवा की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आउटसोर्सिंग के तहत सुरक्षा गार्ड एवं संग्रहालय की सफाई, उद्यान के रख-रखाव आदि कार्य हेतु चौकीदार / माली / स्वीपर की सेवा के लिए प्रतिष्ठित निबंधित एजेंसी यथा- कंपनी / गैर सरकारी संगठन / फ़र्म का चयन करने हेतु कमप्यूटरीकृत टंकित तकनीकी निविदा (Annexure -1) एवं वित्तीय निविदा (Annexure-II) दो अलग-अलग लिफ़ाफ़े में सील बंद करते हुए उक्त लिफ़ाफ़े पर आउटसोर्सिंग के तहत सेवा प्रदान करने हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर मुहरबंद निविदा दिनांक- 17.06.2019 को अपराह्न 3:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में प्राप्त किया जाएगा। सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड :-

29. निविदादाता की कंपनी / गैर सरकारी संगठन / फ़र्म / प्रतिष्ठान का संगत कानून के अधीन निबंधित होने का प्रमाण- पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
30. कार्य अनुभव के रूप में सम्बंधित कंपनी / गैर सरकारी संगठन / फ़र्म / प्रतिष्ठान को विगत विगत 03 (तीन) वर्षों में बिहार सरकार / भारत सरकार के उपक्रम में प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड का सेवा प्रदान करने संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
31. आवेदन करने वाली कंपनी / गैर सरकारी संगठन / फ़र्म / प्रतिष्ठान को 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगा, जो प्रभारी, गाँधी स्मारक संग्रहालय, भित्तिहरवा के पदनाम से देय होगा। बैंक ड्राफ्ट निविदा सूचना प्रकाशन तिथि के बाद का होना चाहिए।
32. संस्था के नाम से चल रहे बैंक खाते का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
33. आयकर का PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
34. प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी अथवा नोटरी का शपथ-पत्र जिसमें लिखा हो कि मेरा फ़र्म / एजेंसी किसी भी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी उपक्रम में काली सूची में नहीं है तथा पूर्व में भी दोषी नहीं पाया गया है, संलग्न करना होगा।
35. निविदा में दर E.P.F., E.S.I. तथा लागू सभी कर एवं सेवा प्रदाता के सेवा शुल्क सहित अंकित करें। मासिक देय राशि के दर की गणना माह में 26 (छब्बीस मात्र) दिनों की मजदूरी के आधार पर श्रम विभाग द्वारा अबतन देय पारिश्रमिक की श्रेणी के अनुसार की जायेगी। शून्य सेवा शुल्क अंकित करने वाले प्रदाता का प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा। कार्यबल की श्रेणी का निर्धारण संलग्न तालिका के अनुसार किया जायेगा जिसमें वांछित संख्या अंकित है। वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्ताव (वित्तीय) का मदवार राशि अंकित करें, यथा - देय मजदूर + E.P.F.+E.S.I.+G.S.T.+ अन्य कोई कर यदि लागू हो + सेवा शुल्क।
36. सुरक्षा सेवा प्रदाता को PSARA के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए। सम्बंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
37. सेवा हेतु प्रतिनियुक्त सुरक्षाकर्मी, सेवा प्रदाता फ़र्म में कम-से-कम दो वर्ष पूर्व से निबंधित होना चाहिए।
38. चयनित एजेंसी को सभी सुरक्षा गार्ड को पहचान-पत्र एवं गाँधी स्मारक संग्रहालय, भित्तिहरवा द्वारा निर्धारित एक समान पोशाक (शर्ट -ब्लू एवं पैन्ट - ब्लैक / ब्लू साड़ी) उपलब्ध कराना होगा, जिसपर सम्बंधित एजेंसी का नाम तथा सुरक्षा गार्ड का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
39. सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित होनी चाहिए।

40. चयनित निविदादाता से आवश्यकतानुसार सुरक्षागार्ड की संख्या में कटौती / वृद्धि गाँधी स्मारक संग्रहालय, भित्तिहरवा द्वारा की जा सकती है।
41. सम्बंधित सुरक्षा गार्ड पुरुष / महिला पूर्णरूपेण शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं उनकी उम्र 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं उनसे तीन पालियों में कर्तव्य तालिका (रोस्टर) के अनुसार कार्य लिया जाएगा। कोई अतिरिक्त ओवरटाइम शुल्क देय नहीं होगा।
42. एजेंसी का चयन तीन वर्षों के लिए किया जाएगा, जो उनके कार्य संतोषप्रद रहने की स्थिति में सेवाओं के लिए एकरारनामा एक-एक वर्ष के लिए गाँधी स्मारक संग्रहालय, भित्तिहरवा के कार्यालय प्रधान द्वारा किया जा सकेगा।
43. निदेशालय द्वारा निर्धारित एकरारनामा प्रारूप पर गाँधी स्मारक संग्रहालय, भित्तिहरवा द्वारा एकरारनामा संपादित किया जाएगा।
44. कर्मचारी राज्य बीमा निगम से कर्मचारियों का भविष्य निधि स्कीम / पेंशन को लागू करने का प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। साथ ही साथ काम करने वाले कर्मचारियों का राज्य बीमा निगम में बीमा करने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करने के बाद ही भुगतान देय होगा। सारी जवाबदेही एजेंसी की होगी। पूर्व में बकाया राशि देय नहीं होने या लंबित नहीं होने का शपथ-पत्र देना होगा।
45. निविदादाता का अपना आवासीय प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर उसकी छायाप्रति संलग्न करना होगा, जो इसी वर्ष का होना चाहिए।
46. चयनित निविदादाता को ई.पी.एफ. (फर्म+कर्म) एवं E.S.I. की निर्धारित राशि प्रतिकर्मी के दर से जमा की गई रसीद की छायाप्रति विपत्र के साथ संलग्न करने बाद ही अगले माह का भुगतान किया जाएगा।
47. आवेदक संस्था का वार्षिक टर्न ओवर तीन वर्षों में कम-से-कम 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) मात्र का होना चाहिए। इसके लिए अंकेक्षण बैलेंस शीट की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
48. निविदा स्पष्ट अंकित / कंप्यूटर प्रिंट होना चाहिए। कटिंग, ओवरराइटिंग वाली निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
49. निविदा की शर्तों में कभी भी फेरबदल करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
50. निविदा के साथ संलग्न सभी अनुलग्नकों को पृष्ठांकित कर अग्रसारण पत्र पर उल्लेखित करते हुए प्रमाणित करना होगा।
51. किसी भी निविदा अथवा सभी निविदा को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
52. एक सुरक्षाकर्मी एक दिन में एक ही पाली में काम करेंगे। लागू श्रम कानून को किसी भी स्थिति में उलंघन नहीं किया जा सकता है।
53. निजी सुरक्षा गार्ड, दीर्घा चौकीदार एवं माली की मजदूरी श्रम विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित कुशल एवं स्वीपर अकुशल श्रेणी की होनी चाहिए।
54. आवंटन उपलब्ध रहने पर भुगतान किया जाएगा। आवंटन के अभाव में भुगतान में विलम्ब हो सकता है। उक्त स्थिति में कर्मियों को चयनित निविदादाता द्वारा नियमित रूप से भुगतान करना होगा।
55. किसी भी प्रकार का विवाद के विस्तारण हेतु स्थायी स्तर पर न्यायिक क्षेत्र गाँधी स्मारक संग्रहालय, भित्तिहरवा (संग्रहालय निदेशालय) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना एवं राज्य स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना होगा।
56. आर्बिट्रेशन की स्थिति में आर्बिट्रेशन का स्थान पटना होगा एवं निदेशक, संग्रहालय, बिहार आर्बिट्रेशन प्राधिकार / एक मात्र आर्बिट्रेटर होंगे।

विश्वासभाजन


(शिव कुमार मिश्र)

प्रभारी

3.6.2019

गाँधी स्मारक संग्रहालय, भित्तिहरवा।


अनुसूची - II

(निबंधित प्रतिष्ठान अपने लेटर पैड पर जमा करेंगे)
वित्तीय निविदा

गाँधी स्मारक संग्रहालय, भित्तिहरवा के कार्य के अनुरूप कार्यबल की संख्या तथा दिनांक- 01.04.2019 के प्रभाव से श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्गत पारिश्रमिक के दर के आधार पर गणना :-

वित्तीय निविदा			
कार्य का व्यौरा	संख्या	श्रेणी	माहवार राशि (श्रेणी शब्द)
निजी सुरक्षा गार्ड (लाठीधारी)	4	कुशल	
दीर्घा चौकीदार	1		
माली (उद्यान एवं परिसर के सभी प्रकार के कार्य)	1		
सफाईकर्मी(भवन परिसर तथा सभी शौचालयों आदि के सफाई)	1	अकुशल	
कुल योग			
सेवा उपलब्ध कराये जाने के विरुद्ध सेवा शुल्क			
E.P.F. as applicable			
E.S.I. as applicable			
G.S.T. as applicable			
अन्य कोई कर यदि लागू हो			
कुल राशि प्रतिमाह			

- नोट :- 1. वित्तीय निविदा में किसी प्रकार का कटिंग / ओवर राइटिंग रहने पर निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
2. कार्यबलों के दिनों की संख्या माह में 26 दिन के आधार पर गणना की जायेगी।


प्रोपराइटर या प्रतिष्ठान के अधिकृत
व्यक्ति का हस्ताक्षर एवं मुहर